न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 29/2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00067

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. बलदेव पुत्र घेवरराम कुमावत, निवासी धनेरिया, तहसील जैतारण ग्राम पंचायत केकिन्दड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली		1. भगवतीदेवी पुत्री हापुराम पत्नी रामसूख रैगर, निवासी धनेरिया, हाल मुकाम जसनगर, तहसील रियांबड़ी नागौर, (राज.) 2. पदमा पुत्री हापुराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति रैगर, निवासी धनेरिया हाल मुकाम रैगरों का बास, जैतारण जिला पाली 3. सरपंच, ग्राम पंचायत केकिन्दड़ा तहसील जैतारण जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल जी प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16-12-20

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत केकीन्दड़ा द्वारा हापूराम पुत्र धुलाराम रेगर के पक्ष में दिनाँक 18.05.1989 को जारी निःशुल्क विक्रय विलेख के निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का कब्जा सुदा पुश्तैनी भूखण्ड मौजा धनेरिया में स्थित है। उपरोक्त भूखण्ड का एक गलत भूमि विक्रय विलेख अप्रार्थीगण के पिता के नाम जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में पता करने पर बताया कि यहां कोई पत्रावली नहीं है। प्रार्थी ने पट्टे हेतु आवेदन किया तो बताया कि उक्त प्लॉट का पट्टा हापुराम के नाम बना हुआ है दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा सरपंच की सील से जारी किया गया है। रेकर्ड नहीं हाने से जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के पूर्वजों का पट्टा विधि सम्मत नहीं है। वारिसानों ने स्वयं सिविल न्यायालय में स्वीकार किया है तथा दोनों पक्षों में दावा बाबत 'स्वामित्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा' का प्रकरण संख्या 93/2018 बलदेव बनाम भगवती वगैरा में राजीनामा हुआ उसमें भी हापुराम की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने जैर निगरानी आराजी प्रार्थी बलदेव की होना स्वीकार किया है। जिसमें प्र[illegible]पूराम पत्नी रामसुख तथा पदमा पुत्री हापूराम पत्नी रामेश्वरला[illegible] हिस्सा एवं अधिकार नहीं होने बाबत डिक्री में आदे[illegible] न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा के प्रार्थी ब[illegible] की घोषणा के बाद [illegible]रानी आराजी एवं पट्टा यथावत रखे जाने का [illegible]ई औचित्य एवं विधिक [illegible] नहीं रह जाता है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:40:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 93/2018 बलदेव बनाम भगवती वगैरा जरिये राजीनामा उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बलदेव के पुश्तैनी मिल्कियत का माना गया है तथा जैर निगरानी आराजी बलदेव की होना माना गया है इसी राजीनामें के आधार पर प्रार्थी बलदेव के हक में प्रकरण संख्या 93/2018 में पारित निर्णय दिनाँक 12.01.2019 को पालना में डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया है जिसके अनुसार जैर निगरानी आराजी बलदेव की मानी गई एवं उसके स्वामित्व की मानते हुए प्रतिवादी भगवती व पदमा पुत्रियां हापूराम का हिस्सा व अधिकार नहीं होना माना गया है। धारा 97 के तहत वैधानिकता एवं शुद्धता देखी जाती है क्योंकि इस प्रकरण में मालिकाना हक सिविल न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, अतः यह पट्टा विधिसम्मत नहीं होने से निगरानी स्वीकृत करना न्यायोचित है। अतः जब सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रार्थी बलदेव के हक में उसके हक अधिकार मानते हुए डिक्री पर्चा जारी कर दिया है तो ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को प्रतिवादीगण स्व. हापूराम के वारिसान है के हक में यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी बलदेव द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा जो 18.05.1989 सरंपच ग्राम पंचायत केकीन्दड़ा द्वारा हापूराम पुत्र धुलाराम निवासी धनेरिया के हक में निःशुल्क जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 16-12-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:40:43 IST
Reason: SelfAttested